मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2001

क्रमांक एफ 5-1/2001/1/9

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय:—शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में निलंबित अधिकारी का मतांकन.

संदर्भ:—इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 5-1/92/1/9, दिनांक 20-3-1992.

इस विभाग से संदर्भित ज्ञापन द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि गोपनीय चरित्रावली लिखने अथवा पुनरीक्षण किये जाने के नियत समय पर प्रतिवेदन/पुनरीक्षक अधिकारी निलंबित है तो उक्त रिपोर्ट संबंधित अधिकारी के निलंबन अधीन रखे जाने की तारीख से दो माह अथवा रिपोर्ट देय होने की तारीख से एक माह के भीतर, जो भी बाद में हो, लिखी/पुनरीक्षित की जा सकती है.

2. उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले ऐसे किसी भी अधिकारी को अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जाए जो उपर्युक्त रिपोर्ट लिखे जाने/रिपोर्ट की समीक्षा किए जाने से संबंधित अधिकांश अवधि के दौरान निलंबित रहा हो, क्योंकि उसे अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य की देख-रेख करने का पूरा अवसर नहीं मिल पाता.

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे.

हस्ता./-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.